

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 मार्च 2018—चैत्र 1, शक 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2018

क्र. 7354-वि.स.-विधान-2018.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (क्रमांक 3 सन् 2018) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१८

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०१८

वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१८ है.

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,८८,९२,६५,७०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये दो सौ अठासी करोड़ बानवे लाख पैंसठ हजार सात सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये	
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
०६.	वित्त	राजस्व	१००	०	१००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	१००	०	१००
०८.	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	०	१३,८४,९००	१३,८४,९००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	०	६९,८७,३७,६००	६९,८७,३७,६००
२३.	जल संसाधन	पूंजी	५००	०	५००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	४१,४००	०	४१,४००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
२६. संस्कृति	राजस्व	७२,५२,००,०००	०
३०. ग्रामीण विकास	पूंजी	३००	०
३२. जनसंपर्क	राजस्व	३२,५०,००,०००	०
३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व	७५,००,००,२००	०
५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	३००	०
६४. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	०	२८,८९,००,०००
६७. लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	३००	०
योग			
राजस्व :		१,९०,०२,००,७००	९८,९०,२२,५००
पूंजी :		४२,५००	०
वृहद योग :		१,९०,०२,४३,२००	९८,९०,२२,५००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २० मार्च, २०१८.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.